नम्बर / वर्ष 153 ,157 / 2013 अनवानी कुरडाराम बनाम नाथी

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
27/5/14	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी गई। हस्तगत प्रकरण 153/2013 की तरह ही अन्य वाद 157/2013 विचाराधीन है दोनो में प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:— प्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी/अप्रार्थीगण ने अपने वाद में कथन किया है कि रोही मौजा अराजी के खाता संख्या 110/100 के खसरा न0 56 की 26.02 बीधा व खरा न0 97 की 25 बीधा कुल 51.02 बीधा रोही मौजा पाण्डुसर मुलाराम व दानाराम पि0 खीयाराम के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी मुलाराम व दानाराम उक्त भूमि को निस्फ–निस्फ काश्त करते थ दोनो ही खातेदार काश्तकार थे प्रतिवादीगण के पिता व दादा व पति मोमनराम पुत्र दानाराम तेज तर्रार आदमी था जिसने अमला माल से साज बाज कर उक्त समस्त भूमि नियम विरूद्व अपने अकेले के नाम गलत तौर से दर्ज करवाली जबकि उसका उक्त भूमि में निस्फ हिस्सा था तथा निस्फ हिस्सा मुलाराम वल्द खियाराम का था उक्त निस्फ हिस्सा भूमि पहले मुलाराम व उसके वारिसान के कब्जा काश्त में थी मगर अब विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में मृतक मोमनराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम गलत तौर से दर्ज हे जिसमें गलत इन्द्राज जमाबन्दी से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 खातेदार हकों का हनन होता है जिससे वादी जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर विवादित भूमि खसरा न0 56 की 26.02 बीधा व खसरा न0 97 की 25 बीधा कुल 57.02 बीधा रोही मौजा पाण्डुसर में निस्फ हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व मृतक डालुराम का नाम कलमजन करा उक्त निस्फ हिस्सा भूमि में वादीगण 1 ता 3 तीनो अपने अपकों 3/4 हिस्सा व वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 पांचों को बहिब 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है आदि आदि अंकित किया जाकर वाद पेश किया गया है। वाद भूमि से सम्बधित न्यायालय हाजा में मोमनराम पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर , मुला पुत्र खियाराम के विरूद्व धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत साबिका खसरा न0 150 की 20.02 बीधा खसरा न0 180 की 24 बीधा 135 मीन की 43 बीधा जिसके हाल खसरा न0 56 की 26.02 बीधा , खसरा न0 97 की 25.00 बीधा खसरा न0 29 की 43 बीधा कुल 94.02 बीधा रोही मौजा पाण्डुसर जो प्रकरण संख्या 174/1974 पर दर्ज हुआ एवं मोमनराम ने जो प्रतिवादीगण के पिता थे वाद प्रस्तुत किया था जिसमें इस भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुवा व राजीनामा के आधार पर वाद वादी दिनांक 19.08.1975 को निर्णय व डिक्री हुवा जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी सख्या 15 ता 17 के दादा व प्रतिवादी संख्या 14 के सुसर मुलाराम पुत्र खियारा ने न्यायलय हाजा के समक्ष उक्त वाद भूमि में यह स्वीकार किया कि राजीनााम के अनुसार वादग्रस्त खसरा न0 29 की 43 बीधा भूमि में से 13 बीधा भूमि वादीगण के पिता मुलाराम के कब्जा [illegible] रहेगी तथा जो बाकी भूमि खसरा न0 29 की 30.00 बीधा [illegible] 56 की 26.02 बीधा खसरा न0 97 की 25 बीधा [illegible] मोमनराम वादी के पास रहेगी उक्त आराजी [illegible] काश्त होगा व रकम अदा करेगा विवादग्रस्त भूमि बाबत कोई त[illegible]जा नही रहा उक्त [illegible] राजीनामा पेश होने पर राजीनाम न्यायालय द्वारा पढ कर सुनाया व समझाया जाकर तस्दीक किया गया जाकर शामिल मिसल किया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

था जिसमें प्रतिवादीगण के पिता व अभिभाषक वर्तमान वादीगण अभिभाषक के पिता स्वय थे उक्त वाद का निर्णय दिनांक 19.8.1975 अन्तिम है जिसके विरूद्व आज तक कोई अपील नही हुई है इसलिये वाद वादीगण रेसज्यूडिकेटा आरिज होने से खारिज योग्य है ।
वादीगण को उपरोक्त तथ्यों को ज्ञान था कि प्रतिवादीगण के वाद भूमि निर्णय दिनांक 19.08.1975 की पालना में दर्ज हुई तथा 38 साल पहले हुए निर्णय के आधार पर मिन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दर्ज चली आ रही है इतने वर्षो वाद पुनः वादीगण उसी विषयवस्तु व वाद भूमि के लिये वाद लाने के अधिकारी नही है क्योकि वादीगण के पिता स्वय ने अपने राजीनामा द्वारा सहमति व स्वतंत्र इच्छा से वाद भूमि मिन प्रतिवादीगण की होना स्वीकार किया है इसलिये वादीगण वाद लाने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से एस्टोपल्ड है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण रेसज्यूडिकेटा आरिज हाने से खारिज फरमाया जावे।

वादी /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण प्रतिवादीगण बिना किसी नियम कायदे काननू के खिलाफ जाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी के कोई इरीकेट पुरे नही होते है उक्त वाद में जबाब दावा आ चुका है अजीदावा व जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम होकर साक्ष्य सबुत के आधारों पर निर्णय किया जाना कानून सम्मत है ऐसे सरसी प्रार्थना पत्र पर कोई रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नही होता है प्रार्थीगण प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जाना बताया गया हे उस दावा में तनकीयात कायम होकर साक्ष्य व सबुत लिया जाकर निर्णय नही हुआ है इसलिये रेसज्युडिकेटा का सिद्वान्त लागू नही होता है।

यह दावा पूर्व दावा के तथ्य भिन्न है तथा पक्षकारन भी अलग अलग है तथा ना ही निर्णय मेरिट पर हुआ है तथा राजीनामा पर किसी प्रकार का रेसज्यूडिकेटा सिद्वान्त अप्लाई नही करता है उक्त दावा में तथ्यों व कानुन व न्याय का मिश्रित प्रश्न निहित है जिसका बाद सुनवाई तनकीयात कायम कर दोनो पक्षकारन का साक्ष्य ली जाकर निर्णय किया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण प्रतिवादीगण उक्त वाद में अनावश्यक अडचन पेदा कर देरीना करना चाहते है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही की जावे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया
प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कथन है कि वाद भूमि से सम्बधित एक वाद उनके पूर्वजों के द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण/अप्रार्थी के पूर्वजों के द्वारा स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश करने पर न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया था जिसके आधार पर वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों एव वर्तमान में उनके नाम दर्ज चली आ रही है पुनः उसी भूमि के सम्बध में इस न्यायालय में वाद पेश नही किया जा सकता है रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है

वादीगण/अप्रार्थी का कथन है कि [illegible] राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया था इसलिये [illegible] का सिद्वान्त आरिज नही है

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वज मोमनराम पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर ने रोही मौजा पाण्डुसर के साबिका खसरा न0 150 की 20.02 बीधा खसरा न0 180

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

की 24 बीधा , खसरा न0 135 मीन की 43 बीधा जिसके हाल खसरा न0 56 की 26.02 बीधा , खसरा न0 97 की 25.00 बीधा खसरा न0 29 की 43 बीधा कुल 94.02 बीधा भूमि एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में वादीगण के पूर्वज मूलाराम पुत्र खियाराम के विरूद्व अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये प्रस्तुत किया गया था मोमनराम का वाद न्यायलय में प्रकरण संख्या 174/1974 अनवानी मोमनराम बनाम मुलाराम दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई सुनवाई के दोरान मुलाराम पुत्र खियाराम ने मोमनराम पुत्र दानाराम के साथ राजीनाम किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायालय ने राजीनामा पढ कर सुनाया व समझाया जाकर तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर प्रार्थी /प्रतिवादीगण के पूर्वज मोमनराम का वाद मुताबिक राजीनामा दिनांक 19.08.1975 को निर्णय किया गया जिसकी पालना में डिक्री जारी गई जिसकी पालना में भूमि राजस्व रिकार्ड में मोमनराम एव मुलाराम के नाम दर्ज हुई है।

उक्त वाद की प्रक्रिया से पूर्णत्या साबित है कि वाद भूमि के सम्बध मे प्रतिवादीगण के पूर्वज मोमनराम का वाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज हुई है अर्थात वादीगण के पूर्वज मूलाराम ने प्रार्थी /प्रतिवादीगण के पूर्वज का वाद स्वीकार किया जा चुका है।

इसप्रकार न्यायालय द्वारा वाद की सर्म्पूण न्यायियक प्रक्रिया की पालना किया जाकर वाद का निर्णय किया गया है जिसके कारण पुनः उसी भूमि के सम्बध में वाद प्रस्तुत किये जाने से रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि पूर्व में मोमनराम के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद को स्वय मोमनराम के द्वारा विड्रा या राजीनामा के आधार पर खारीज करवा लिया जाता तो रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नही होते क्योकि विड्रा /राजीनामा के आधार पर खारिज होने पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की डिक्री जारी नही होती जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नही होता।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना में डिक्री जारी की गई है जिसकी पालना में भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इसलिये रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायियक दृष्टान्त आरआरडी 2018 पेज 42 प्रकराण अनवानी छितर बनाम मनीदेवी में प्रतिस्थापित किया गया है कि राजीनामा परिवारिक समझौता एव आपसी सहमति के आधार पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त पुनः वाद दायर करने को कोई क नही इसीप्रकार न्यायियक दृष्टान्त आरआरटी 2022 पेज 370 में प्रतिपादित किया गया है कि राजीनामा के बाद वादीगण पुनः वाद पेश करने हेतु हकदार नही है न्यायियक दृष्टान्त आरबीजे 2023 पेज 497 में प्रतिपादित किया गया है कि जब पहले के वाद में विवादित भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य पहले ही निर्णय हो चुका है तब उसी भूमि के बाबत बाद का कानून बाधित है क्योकि पूर्व न्याय का सिद्वान्त(रेसज्यूडिकेटा) लागू होता है

वादीगण /अप्रार्थी [illegible] है [illegible] विषय /पक्षकार भिन्न है स्वीकार योग्य नही है क्योकि हस[illegible] में पूर्व वाद मे वर्णित भूमि भी हस्तगत वाद [illegible] मोमनराम एव मूलाराम के वारिसान ही [illegible] है अर्थात हस्तगत वाद मोमनराम के वारिसान जो प्रतिवादीगण है [illegible] मुलाराम के वारिसान जो वादीगण है अर्थात मोमनराम एव मुलाराम के वारिसान ही वाद में पक्षकार होने के कारण पक्षकार भिन्न होने की श्रेणी में नही आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पूर्वजों को न्यायालय की डिक्री की आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है यदि वादीगण/अप्रार्थी को किसी प्रकार का ऐतराज है तो वह पूर्व निर्णीत /डिक्री की अपील कर सकते थे जो नही की गई वादीगण/अप्रार्थी ने वाद भी 38 वर्षो के बाद पेश किया गया है इतने लम्ब समय तक पूर्व निर्णय पर मौन रहने का कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया है वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पालना की जाकर निर्णय पारित किया गया है पुनः उसी भूमि के सम्बध में वाद पेश नही किया जा सकता है।

वादीगण/अप्रार्थी का कथन है तनकीयात साक्ष्य सबुत लिये जाकर निर्णय नही हुआ है स्वीकार योग्य नही है यदि पूर्व वाद में वादीगण के पूर्वज मूलाराम के द्वारा मोमनराम के वाद मे राजीनामा प्रस्तुत नही किया जाता तो तनकीयात भी कायम होती और साक्ष्य सबुत भी लिये जाते वादीगण के पूर्वज मुलाराम ने मोमनराम के वाद को स्वीकार करने के कारण वाद में तनकीयात कायम नही हुई एव राजीनामा पेश कर मोमनराम के वाद को स्वीकार करने के कारण साक्ष्य सबुतों की आवश्यकता ही नही रही इसलिये वादीगण /अप्रार्थी को उक्त कथन स्वीकार योग्य नही है

न्यायालय द्वारा पूर्व वाद मे सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की पालना की जाकर निर्णय एव डिक्री जारी की गई है जिसकी पालना में भूमि पूर्व में मोमनराम के नाम दर्ज हुई थी जो वर्तमान में उसके वारिसान के नाम से दर्ज है जिसके सम्बध में वादीगण पूनः वाद पेश करने की अधिकारीता नही रखते है।

इसप्रकार उक्त विवेचन से पूर्णत्या स्पष्ट हो चुका है कि पक्षकारन के पूर्वजों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात बाबत पूर्व में प्रस्तुत वाद में न्यायायिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाकर पक्षकारन के हक अधिकारों का गुणावगुण पर अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होने के कारण वादीगण पुनः उसी अराजीयात बाबत पुन वाद प्रस्तुत नही कर सकते है अर्थात वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादीगण इस स्टेज पर खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलीयो में शामिल की जाती है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 27/05/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested